Press Release

PMO
New Delhi, 9th June 2012

PMO writes to Anna Hazare addressing the issues raised by him.

The Minister of State in the Prime Minister's office Mr. Narayanaswamy has written to Shri Anna Hazare addressing the issues raised by the him and his colleague.

The text of the Minister's letter is as follows:

यह पत्र प्रधान मंत्री को संबोधित दिनांक 26.5.2012 के उस पत्र के संदर्भ में है, जिस पर आप और आपके अन्य साथियों द्वारा हस्ताक्षर किये गए प्रतीत होते हैं। मुझे पत्र में उठाए गए मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित बातें आपके समक्ष रखने का निदेश हुआ है।

सरकार ने संसद में एक मजबूत लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जो संसद में इससे पहले प्रस्तुत किये गए किसी भी विधेयक से अधिक प्रगतिशील हैं। इस विधेयक को आपके और आपके साथियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है और इसमें आपके वे सभी सुझाव शामिल हैं, जो व्यावहारिक पाए गए हैं। इस विधेयक को लोक सभा ने पारित कर दिया है। सरकार का मत है कि विधेयक पर अंतिम निर्णय संसद को लेना है और उसे संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत ही पारित किया जाना चाहिए । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार सभी दलों के सुझावों का स्वागत करती है। वास्तव में, सरकार ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सुझावों को स्वीकार भी किया है और इस संबंध में आम सहमति बनाने के प्रयास में दो बार सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गई हैं। विधेयक को अब प्रवर समिति को भेज दिया गया है, जो इस विषय पर संगत सुझाव प्राप्त करके उन पर विचार करेगी।

लोकपाल विधेयक के अलावा भ्रष्टाचार को रोकने और कम करने के लिए सरकार ने वैधानिक और कार्यकारी दोनों तरह के बहुत से अन्य कदम भी उठाए हैं। Public Interest Disclosure and Protection of Persons Making the Disclosure Bill, Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of International Organisations Bill, Citizens' Right to Grievance Redress Bill and Judicial Standards and Accountability Bill को संसद में पेश किया गया है। भारत ने United Nations Convention against Corruption को भी अनुमोदित किया है। मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक खरीद के एक व्यापक कानून को अनुमोदित कर दिया है। National Mission for delivery of Justice and Legal Reforms का गठन किया गया है।

भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समूह ने बहुत से उपायों को अनुमोदित किया है, जिनका उल्लेख अनुलग्नक में किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इन उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है और इस संबंध मे हुई प्रगति का पता लगाने के लिए एक निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है।

काले धन की समस्या का मुकाबला करने के लिए Benami Transactions (Prohibition) Act पारित किया गया है और Prevention of Money Laundering Act में संशोधन किया गया है। काला धन पर रोक लगाने हेतु कानूनों को सख्त बनाने के उपायों की जांच करने के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है। काले धन की मात्रा का आकलन करने और इस संबंध में सिफारिश करने का काम स्वतंत्र एजेंसियों को सौंपा गया है। विदेशों में नई आयकर इकाइयां बनाई गई हैं और गैर-कानूनी रूप से उत्पन्न हो रहे धन और उसे विदेश भेजने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नए Tax Information Exchange Agreements और Double Taxation Avoidance Agreements किये गए हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जैसी एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से निरंतर कार्य कर रही हैं। सच्चाई तो यह है कि इस सरकार के कार्यकाल में इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली में बिलकुल भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने विभिन्न विभागों की लेखा परीक्षा करने का काम निर्बाध रूप से किया है।

सरकार शासन व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में और अधिक ईमानदारी लाने के उपायों के संबंध में सिविल सोसाइटी के सभी वर्गों, जिसमें वह वर्ग भी शामिल है जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, के सुझावों का स्वागत करती है। सरकार, भ्रष्टाचार को कम करने तथा और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लोक सेवकों के खिलाफ निराधार और तथ्यहीन आरोपों की वजह से ऐसी स्थिति न निर्मित हो जिसमें भय के कारण निर्णय न लिए जा सकें और प्रगति एवं विकास की गति धीमी हो जाए ।

आपके पत्र से पता चलता है कि आपने सभी मंत्रियों को पूर्व में पत्र भेजकर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में जानकारी दी थी और उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी।

जहां तक प्रधान मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि वे कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लीक हुए मसौदे और मीडिया की कहानियों पर आधारित हैं। आपने इन आरोपों के समर्थन

में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि आपने स्वयं कहा है कि ये आरोप आप नहीं लगा रहे हैं। कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए अपनाई गई नीति और प्रक्रियाओं का पूरा ब्यौरा कोयला मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है और उसे http://coal.nic.in/welcome.html पर देखा जा सकता है। कोयला ब्लाकों के आवंटन से संबंधित सभी निर्णय कानूनी प्रावधानों और तत्समय लागू नीति के अनुसार लोकहित में लिए गए थे।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट अभी संसद के समक्ष नहीं रखी गई है। जब यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी, सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार लोक लेखा समिति के समक्ष विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया पेश करेगी। यह भी ज्ञातव्य है कि सी.वी.सी ने अपनी प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके हाल ही में सी.बी.आई को यह निदेश दिया है कि वह विपक्ष के एक संसद सदस्य और कुछ अन्य लोगों द्वारा कोयला ब्लॉक के आबंटन के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत की प्रारंभिक जांच करे। सी.बी.आई निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपनी जांच करेगी। सी.बी.आई के प्रति आपकी धारणा और आरोप अनुचित तथा गलत हैं।

मुझे अफसोस है कि आपका यह कथन कि देश की सर्वोच्च संस्थाओं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि ने (मंत्रियों के खिलाफ) समय-समय पर ये आरोप लगाए हैं, न केवल अस्पष्ट है, बल्कि स्वीकार करने योग्य भी नहीं है।

आपके पत्र की शैली और जिस तरीके से उसमें वृहद रूप से मनमाने आरोप लगाए गए हैं, वह भी मान्य नहीं हैं।

विशेष जांच दल का गठन करने संबंधी आपकी मांग तथा आपके द्वारा जांच दल के लिए सुझाए गए Terms of Reference पर भी विचार किया गया है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों का परीक्षण एवं कार्रवाई के लिए पर्याप्त कानूनी एवं सांविधिक ढांचा उपलब्ध है, आपकी मांग स्वीकार नहीं की जा सकती है।

यह आरोप कि सरकार ने श्री मुलायम सिंह यादव से मिलकर उनके विरुद्ध चल रही सी.बी.आई जांचों को दबा दिया है, आधारहीन एवं गलत है। ऐसा आरोप लगाना सरकार, श्री मुलायम सिंह एवं सी.बी.आई के प्रति अनुचित है तथा न्यायप्रणाली के लिए अपमानजनक है।

जहां तक टीम अन्ना (जो आपके द्वारा दिया गया नाम है) के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का सवाल है, जब कभी उसके विरुद्ध रिपोर्टें दी जाती हैं, संबंधित एजेंसियों द्वारा उनकी उचित जांच की जाएगी। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति को संगत कानून में मिलने वाली सज़ा से दोगुनी सज़ा दी जाए।

अंत में, तथाकथित भ्रष्ट छवि वाले संसद सदस्यों के मामलों के निपटारे के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के आपके सुझाव पर भी विचार किया गया है। इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार एवं न्यायपालिका – दोनों ही विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं ।

अनुलग्नक

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मंत्रियों के समूह द्वारा अनुमोदित मुख्य उपाय

➢ भ्रष्टाचार के आरोपी जन-सेवकों के सभी मामलों की शीघ्र जांच

- अभियोजन की अनुमति देने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा अनुरोध किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी 3 महीने के अंदर निर्णय ले । (आदेश जारी हो चुके हैं)।
- सक्षम प्राधिकारी DSPE अधिनियम, 1946 की धारा 6(क) के तहत अनुमति देने के सभी अनुरोधों के संबंध में 3 महीने के अंदर निर्णय ले। भारत सरकार में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी प्रभारी मंत्री होंगे। (आदेश जारी हो चुके हैं)

➢ चुनाव सुधार –

- कानून एवं न्याय मंत्रालय को तेजी से सुधार कार्य शुरु करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। (इन प्रस्तावों के संबंध में राजनीतिक सहमति की प्रतीक्षा है।)

➢ केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करना –

- कार्मिक एवं लोक प्रशिक्षण विभाग से कहा गया है कि वह सभी मंत्रालयों/विभागों को विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के नियामक मानदंड तैयार करने और उन्हें सार्वजनिक करने की सलाह दें। (कार्मिक एवं लोक प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।)

➢ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की खुली और प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली शुरु करना–

- अशोक चावला समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इनके कार्यान्वयन पर निगरानी करने का निदेश आर्थिक कार्य विभाग को दिया गया है।

***